

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
हीराराज पुत्र खोजाप्रसाद पटवारी	वा म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 202 / 2021 GCMS No. 2021 / 921

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

25/11/2021

वादी श्री हीराराज पुत्र खोजाप्रसाद जाति पटवारी निवासी परेवडी द्वारा आज “प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 ” कैम्प ग्राम पंचायत परेवडी में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्बत 2073-2076 ग्राम परेवडी पटवार मण्डल परेवडी के खाता नम्बर 142 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि हीराराज पुत्र खोजाप्रसाद दर्ज है, जो अशुद्ध है।
 वादी का शुद्ध नाम हीराराज पुत्र खोजाप्रसाद है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 38805773 8661 मतदाता पहचान 13/25/186/52428 अन्य दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है।
 इस संबंध में हल्का पटवारी परेवडी भू.अ.नि ... एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।
 अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



...
 उपखण्ड अधिकारी
 कुचामनसिटी (नागौर)



873-875